न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 7 / 2020

उनवान

1. शिवराज पुत्र मंगला,
2. भंवर सिंह पुत्र बीरम सिंह जाति रावत नि0 बिठुर नसीराबाद

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. देवी पत्नी नाथू सिंह,
2. सम्पति पत्नी देवी,
3. कालू पुत्र देवी,
4. सोनू पुत्र देवी,
5. सीमा पुत्र देवी,
6. सोहन पुत्र नाथू सिंह
7. काली पत्नी सोहन सिंह,
8. लाल सिंह पुत्र लादू,
9. मानी पत्नी लाल सिंह,
10. मनोज पुत्र शंकर,
11. सोनू
12. हेमा पि0 शंकर,
13. गीता पत्नी शंकर,
14. मोहन पुत्र उर्जा,
15. नानी पत्नी मोहन,
16. भैरू पुत्र पूना,
17. तीजी पत्नी पूना,
18. गुमान पुत्र लादू,
19. भंवरी पत्नी गुमान,
20. रमेश पुत्र गुमान,
21. काना पुत्र गुमान,
22. कैलाश पुत्र लाल सिंह,
23. कमला पत्नी कैलाश जाति रावत नि0 बिठुर, नसीराबाद,
24. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
25. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा राजगढ,

–– अप्रार्थीगण :– 1, 3, 6, 16, 17 जरियें अधिवक्ता श्री ज्वाला प्रसाद
शेष अनुपस्थित

26. अमरचन्द पुत्र लाला,
27. गुमानी पत्नी मंगला,
28. जीवण पुत्र बीरम सिंह,
29. प्रवीणी उर्फ प्रेम पुत्री बीरम सिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

... पन्ना
... पन्ना,
... सिंह पुत्र बीरम सिंह,
... पत्नी बीरम सिंह,
... लक्ष्मी पुत्री मंगला,
... सिकन्दर पुत्र मंगला,
36. हंगामी पुत्री बीरम सिंह,
37. हीरा पुत्र बीरम सिंह,
38. अमर सिंह पुत्र लाला,
39. केली पुत्री रामा जाति रावत नि0 बिठुर, नसीराबाद,
40. चम्पू खां पुत्र जफरू खां जाति मेहरात नि0 बिठुर ,नसीराबाद

परफोर्मा अप्रार्थीगण :– जरियें राज0 पैरोकार

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 19.1.21

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.17, 723 रकबा 0.26, की आरजी प्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। जिसके चाह नम्बर 707 है व खसरा नम्बर 716 में धोरा बना हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बर पर आने–जाने के लिये प्रार्थीगण खसरा नम्बर 691 जो कि स्वयं की खातेदारी का है में से होकर खसरा नम्बर 723 व 731 में जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास आवागमन का अन्य कोई मार्गाधिकार उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण रास्ते हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 687, 688, 706, 718 में से होकर प्रवेश करते है। अतः उक्त खसरा नम्बर में से प्रार्थीगण को 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। एवं उक्त रास्तें का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 6, 8, 16 व 18 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में विरोधाभासी कथन अंकित किये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत कोई भूमिधारी रास्ते के अधिकार अथवा सुखाधिकार हेतु रास्ता चाहता है। तो ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित पक्षकार को सूचना देकर 45 दिवस में उसका निपटारा करना होता है। यदि 45 दिवस में निपटारा नही किया जाता है तो तहसीलदार ही उसका निपटारा करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि मौके पर कभी कोई रास्ता रहा हो। अथवा अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में कोई बाधा पैदा की हो। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण सीधा ही पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को नही है। धारा 251 ए के तहत ग्राम पंचायत से दादरसी प्राप्त की जा सकती है। खसरा नम्बर 723 व 731 पर आने–जाने के लिये प्रार्थीगण का आवागमन मुख्य सडक से सटते हुये [illegible] 725 में से होकर होता रहा है। उक्त रास्ता उनका वैकल्पिक भी है। अप्रार्थीगण के खे[illegible]र्थीगण अपनी सुविधा के लिये रास्ते की मांग कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] किया जावे। शेष अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में [illegible] पेश की। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 690 मौके पर पडत है। इस भूमि का उपयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में मोहन पुत्र उरजा, लादू पुत्र कज्जा वगै0 के नाम दर्ज है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

930 गै0मु0 नाला से सटे हुये आबादी भूमि में ब्लाक/पत्थर का पुख्ता रास्ता बना हुआ हा तक आने में कोई बाधा नही है। इाके उपरान्त खसरा नम्बर 687/0.06, 688/0.06 में क्रमशः 12 वर्ग मीटर व 60 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसके आगे खसरा नम्बर 06, 718, 717 रकबा क्रमशः 0.26, 0.15, 0.02 में से क्रमशः 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर व 36 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 276 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता मार्ग के लिये है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 15541/ रूपये बनती है। मौके व रेकार्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। चाहे गये मार्ग की चौडाई 4 मीटर है।

प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। अतः मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु पुनः तहरीर जारी की गयी।

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार पूर्व रिपोर्ट के तथ्य दोहराते हुये अंकित किया कि उभयपक्ष में जुबानी झगडे के कारण पूर्व में पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम बिठुर के हाल खसरा न्म्बर 723 व 731 प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेतों मे से आने–जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। दोनो मौका रिपोर्ट में उक्त तथ्य का उल्लेख भी है। ''जिसके अनुसार खसरा नम्बर 930 गै0मु0 नाला से सटे हुये आबादी भूमि में ब्लाक/पत्थर का पुख्ता रास्ता बना हुआ है। यहा तक आने में कोई बाधा नही है। इाके उपरान्त खसरा नम्बर 687/0.06, 688/0.06 में से क्रमशः 12 वर्ग मीटर व 60 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसके आगे खसरा नम्बर 706, 718, 717 रकबा क्रमशः 0.26, 0.15, 0.02 में से क्रमशः 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर व 36 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 276 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता मार्ग के लिये है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 15541/ बनती है। मौके व रेकार्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। चाहे गये मार्ग की चौडाई 4 मीटर है।'' अप्रार्थीगण का कथन है कि धारा 251 ए के तहत सुनवाई का अधिकार हाजा न्यायालय को नही होकर ग्राम पंचायत व तहसीलदार को है किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत नही है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। जिसकी सुनवाई का श्रेत्राधिकार ग्राम पंचायत व तहसीलदार को नही हो कर हाजा न्यायालय को ही है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के तथ्यों की ताईद होती है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही होता है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता उपलब्ध नही है। चाहे गये मार्ग की आंत्यंतिक आवश्यकता सिद्व होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 687, 688, 706, 718, 717 में से क्रमशः 12 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर व 36 वर्ग मीटर कुल 276 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त सम्पूर्ण [illegible] चौडाई 4 मीटर है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 31082/ रूपये अक्षरे [illegible] हजार बीयासी रूपये प्रार्थीगण द्वारा संबधित खसरा नम्बर के खातेदारों को भुगतान करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज [illegible] की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:23 IST
Reason: SelfAttested